



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022022-233777
CG-DL-E-28022022-233777

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 871]
No. 871]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 2022/फाल्गुन 9, 1943
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 2022/PHALGUNA 9, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2022

का.आ. 901(अ).—केंद्रीय सरकार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) यह संशोधन 1.1.2001 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 33 में,-

क. उप-नियम (1) में, -

i. "समुद्री उत्पादों के परिवहन", शब्दों के पश्चात् "छीलने वाला शेड, ताजा या शीतित मछली प्रबंधन केंद्र, जीवित मछली प्रबंधन केंद्र या सूखी मछली प्रबंधन केंद्र" शब्द, अंतःस्थापित किया जाएगा ;

ii. "प्ररूप II", शब्दों और आंकड़े के पश्चात्, " प्ररूप II क, प्ररूप II ख, प्ररूप II ग और प्ररूप II घ", शब्द और आंकड़े, अंतःस्थापित किए जाएंगे;

iii. "पांच रुपये के भुगतान पर", शब्दों के स्थान पर "दो सौ रुपये के भुगतान पर", शब्द, रखा जाए;

iv. प्रसंस्करण संयंत्र के पश्चात आने वाला "या" शब्द और समुद्री उत्पादों के लिए भंडारण परिसर के पश्चात आने वाला "या" शब्द का लोप किया जाएगा।

ख. उपनियम (2) में, -

i "या" शब्द, का लोप किया जाएगा।

ii. "वाहन", शब्द के पश्चात, "पिलिंग शेड, ताजा या शीतित मछली प्रबंधन केंद्र, जीवित मछली प्रबंधन केंद्र या सूखी मछली प्रबंधन केंद्र", शब्द, अंतःस्थापित किए जाएंगे;

ग. उप-नियम (2) के पश्चात, विद्यमान "सारणी" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	(1)	(2)
I	रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन	शुल्क
(1)	आवेदन प्ररूप के प्रत्येक सेट के लिए शुल्क (प्ररूप IIक, IIख, IIग, IIघ, III, II, IV, IX)	रु 200
(2)	मछली पकड़ने के पोत के आवेदन के प्रत्येक सेट के लिए शुल्क (प्ररूप I)	रु 100
II	निर्यातक का रजिस्ट्रीकरण (प्ररूप X)	
(1)	निर्यातक रजिस्ट्रीकरण शुल्क	रु 5000
III	मछली पकड़ने के पोत (प्ररूप V)	
(1)	लंबाई में 45 फीट तक मछली पकड़ने के पोत का रजिस्ट्रीकरण	रु 1000
(2)	ओएएल 45 फीट और अधिक के मछली पकड़ने के पोत का रजिस्ट्रीकरण	रु 2000
IV	भंडारण(प्ररूप VII)	
(1)	50 टन क्षमता तक ठंडे और शीतित हुए भंडारण और जिसके अंतर्गत 50 टन क्षमता तक ठंडे और शीतित हुए भंडारण भी हैं	रु 3000
(2)	50 टन क्षमता से ऊपर ठंडे और शीतित हुए भंडारण और जिसके अंतर्गत 50 टन क्षमता से ऊपर ठंडे और शीतित हुए भंडारण भी हैं	रु 5000
(3)	50 टन क्षमता तक ठंडे और शीतित हुए भंडारण के सिवाय और जिसके अंतर्गत 50 टन क्षमता तक ठंडे और शीतित हुए भंडारण भी हैं	रु 1000
(4)	50 टन क्षमता के ऊपर शीतित और शीतित हुए भंडारण के सिवाय	रु 2000
V	प्रसंस्करण संयंत्र (प्ररूप VI)	
(1)	5 टन तक के कच्चे माल को संभालने की प्रसंस्करण क्षमता के साथ प्रसंस्करण संयंत्र और जिसके अंतर्गत 5 टन प्रसंस्करण क्षमता का संयंत्र भी है (प्रति 8 घंटे की पाली)	रु 2500
(2)	5 टन से अधिक कच्चे माल के प्रबंधन की प्रसंस्करण क्षमता के साथ प्रसंस्करण संयंत्र और जिसके अंतर्गत 5 टन प्रसंस्करण क्षमता का संयंत्र भी है (प्रति 8 घंटे की पाली)	रु 5000
VI	पीलिंग शेड (प्ररूप संख्या (VI (क))	
(1)	प्रति 8 घंटे की पाली में 5 टन तक के कच्चे माल के प्रबंधन की क्षमता पीलिंग शेड जिसके अंतर्गत प्रति 8 घंटे की पाली में 5 टन कच्चे माल भी है	रु 1500

(2)	प्रति 8 घंटे की पाली में 5 टन के ऊपर के कच्चे माल के प्रबंधन की क्षमता पीलिंग शेड जिसके अंतर्गत प्रति 8 घंटे की पाली में 5 टन कच्चे माल भी है	रु 3000
VII	प्रबंधन केंद्र (प्ररूप संख्या VI (ख), प्ररूप संख्या VI (ग), प्ररूप संख्या VI(घ))	
(1)	प्रति 8 घंटे की पाली में 5 टन तक की ताजा या शीतित मछली को प्रबंधन की क्षमता के साथ प्रबंधन केंद्र जिसके अंतर्गत प्रति 8 घंटे की पाली में 5 टन की ताजा या शीतित मछली भी है	रु 1500
(2)	प्रति 8 घंटे की पाली में 5 टन के ऊपर की ताजा या शीतित मछली को प्रबंधन की क्षमता के साथ प्रबंधन केंद्र	रु 3000
(3)	प्रति 8 घंटे की पाली में 5 एम3 तक की जीवित मछली को प्रबंधन की क्षमता के साथ प्रबंधन केंद्र	रु 1500
(4)	प्रति 8 घंटे की पाली में 5 एम3 के ऊपर की जीवित मछली को प्रबंधन की क्षमता के साथ प्रबंधन केंद्र	रु 3000
(5)	प्रति 8 घंटे की पाली में 1 टन तक के सूखे/नमकीन समुद्री उत्पादों को प्रबंधन की क्षमता के साथ प्रबंधन केंद्र जिसके अंतर्गत प्रति 8 घंटे की पाली में 1 टन तक के सूखे/नमकीन समुद्री उत्पादों भी हैं	रु 1500
(6)	प्रति 8 घंटे की पाली में 1 टन के उपर सूखे/नमकीन समुद्री उत्पादों को प्रबंधन की क्षमता के साथ प्रबंधन केंद्र	रु 3000
VIII	वाहन (प्ररूपVIII)	
(1)	प्रति वाहन	रु 1500
IX	रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण	
(1)	20 एम ओएएल तक मछली पकड़ने के पोत के सिवाए सभी नवीकरण	रु 1000
(2)	20 एम ओएएल तक मछली पकड़ने के पोत के सिवाए नवीकरण	रु 250
X	एक निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में पृष्ठांकन	
(1)	एक व्यापारी निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणीकरण में प्रसंस्करण संयंत्र/प्रबंधन सुविधा/भंडारण परिसर आदि की उपयोगिता का पृष्ठांकन	रु 5000
(2)	प्रसंस्करण संयंत्र/ प्रबंधन सुविधा/भंडारण परिसर आदि के प्रमाण पत्र में व्यापारी/निर्माता निर्यातकों के नाम का पृष्ठांकन	रु 5000
(3)	एक व्यापारी निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणीकरण में प्रसंस्करण संयंत्र/प्रबंधन सुविधा के साथ समझौता के समय पूर्व रद्दीकरण का पृष्ठांकन	रु 5000
(4)	प्रसंस्करण संयंत्र/प्रबंधन सुविधा के प्रमाणीकरण में निर्यातक के साथ प्रसंस्करण समझौता के समयपूर्व रद्दीकरण का पृष्ठांकन	रु 5000
(5)	भंडारण परिसर के प्रमाणीकरण में निर्यातक के साथ भंडारण समझौता के समयपूर्व रद्दीकरण का पृष्ठांकन	रु 5000
(6)	कोई अन्य पृष्ठांकन जो रजिस्ट्रीकरण के संबंध में ऊपर कवर नहीं किया गया है	रु 1000
XI	इकाई का हस्तांतरण	
(1)	बिक्री, गिरवी या अन्यथा से प्रसंस्करण संयंत्र, भंडारण परिसर या वाहन, मछली पकड़ने के जलयान को हस्तांतरित करना	रु 1000

XII	मछली पकड़ने वाले जलयानों के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में विवरण का परिवर्तन	
(1)	20 मीटर ओएएल तक मछली पकड़ने वाले जलयानों को छोड़कर सभी इकाईयों के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में विवरण में परिवर्तन	रु 1000
(2)	20 मीटर ओएएल तक मछली पकड़ने वाले जलयानों के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में विवरण में परिवर्तन	रु 250
XIII	मछली पकड़ने वाले जलयानों, प्रसंस्करण संयंत्र आदि के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में परिवर्तन।	
(1)	20 मीटर ओएएल तक मछली पकड़ने वाले जलयानों के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र पर कोई पृष्ठांकन	रु 250
(2)	प्रसंस्करण संयंत्रों का पृष्ठांकन या रजिस्ट्रीकरण	रु 1000
(3)	उत्पादन के इकाईयों के स्वामित्व में परिवर्तन का पृष्ठांकन	रु 1000
(4)	20 मीटर तक ओएएल मछली पकड़ने के जलयान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में सम्मिलित किसी अन्य विवरण के परिवर्तन का पृष्ठांकन	रु 1000
(5)	20 मीटर ओएएल तक मछली पकड़ने वाले जलयानों के संबंध में छोड़कर वित्तीय संस्थान के दृष्टिबंधक / ग्रहणाधिकार में परिवर्तन	रु 1000
(6)	प्रसंस्करण संयंत्रों के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र में पट्टेदार का पृष्ठांकन	रु 1000
(7)	रजिस्ट्रीकरण के डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने का पृष्ठांकन	रु 1000
(8)	अतिरिक्त क्षमता का पृष्ठांकन	रु 1000
(9)	किसी फ़र्म/कंपनी के गठन में पृष्ठांकन	रु 1000
(10)	कोई अन्य पृष्ठांकन	रु 1000

3. उक्त नियम के नियम 34 में उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

"(3) जहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाता है, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र यथास्थिति प्ररूप V, प्ररूप VI, प्ररूप VII, प्ररूप VIII, प्ररूप VI (क), प्ररूप VI (ख), प्ररूप VI (ग) या प्ररूप VI (घ) में दिया जाएगा, और प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अधीन होगा।"

4. उक्त नियम में नियम 38 के उपनियम (2) में "पंद्रह रुपये" शब्द के स्थान पर "एक हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियम के नियम 39 में, -

क. उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) यदि उस अवधि के दौरान जब समुद्री उत्पादों के लिए भंडारण परिसर का रजिस्ट्रीकरण, समुद्री उत्पादों के परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला वाहन, पिलिंग का शेड, ताजा या शीतित मछली प्रबंधन केंद्र, जीवित मछली प्रबंधन केंद्र या सूखे मछली प्रबंधन केंद्र लागू है, उसका स्वामी उस स्थान को बदलना चाहता है जहां पूर्वोक्त इकाई स्थित है, या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित के रूप में लेआउट, या इसकी क्षमता में कोई परिवर्तन या अन्यथा, या उसके प्रबंधन के स्थान को बदलना चाहता है, मछली पकड़ने का जलयान या वाहन वह ऐसे इच्छित परिवर्तन से कम से कम तीस दिन पहले सचिव या उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी को आवेदन करेगा।"

ख. उप-नियम (2) में, "पंद्रह रुपये" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियम के नियम 41 में:-

(क) उप-नियम (1) में " 5/- रु.", शब्दों और अंकों के स्थान पर, " दो सौ रुपये " शब्द, रखा जाएगा;

(ख) उप-नियम (2) में, "पंद्रह रुपए" शब्दों के स्थान पर, "रुपये पांच हजार" शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त नियम के अध्याय-VIII में,-

क. "प्ररूप II" के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात् -

"प्ररूप II (क)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972

(नियम 33 देखें)

समुद्री उत्पादों के लिए पीलिंग शेड के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र

1. क. आवेदक का पूरा नाम और पता

ख. स्थापना की प्रकृति

ग. मालिक/भागीदार/निदेशक का नाम और पता

यथास्थिति

2. क. पीलिंग शेड का स्थान प्लॉट, वार्ड, गली का नाम और दरवाजा सं.

सर्वेक्षण संख्या दें।

ख. डाक का पता

ग. टेलीफोन संख्या:

i) कार्यालय

ii) कारखाना

घ. टेलीग्राफिक पता, यदि कोई हो

3. शेड का विस्तार (फर्श क्षेत्रफल):

क) लंबाई

ख) चौड़ाई:

ग) ऊंचाई

घ) प्रदान किया गया टेबल क्षेत्र

ङ) प्रदान किया गया टेबल

4. क. फर्श का प्रकार

ख. क्या जमीन ढालू है

5. प्रदान की गई टेबल संख्या, उनका आकार और प्रकार

(यह भी बताएं कि वे स्टील, लकड़ी या सीमेंट कंक्रीट के बने हैं)

6. नियोजित श्रमिकों की संख्या

7. पीलिंग शेड में पानी की आपूर्ति का स्रोत

8. छत का प्रकार
9. क्या नकली सीलिंग दी गई है
10. 8 घंटे की प्रति पाली में संभाला जा सकने वाला कच्चे माल की अधिकतम परिणाम
11. पीलिंग शेड में उपलब्ध शौचालय की सुविधा :
 - क) मूत्रालयों की संख्या
 - ख) शौचालयों की संख्या
 - ग) क्या स्व्क्षालन प्रकार के शौचालय हैं
 - घ) क्या शौचालय स्वयं बंद होने वाले दरवाजों से सुसज्जित हैं
12. फ्लाई प्रूफिंग के लिए की गई व्यवस्था
13. क्या दरवाजों में स्वयं बंद होने वाले डिवाइस लगे हैं
14. उपयोग में आने वाले बर्तनों का प्रकार और संख्या
15. पीलिंग शेड में जल निकासी की व्यवस्था
16. बहिःस्राव और पीलिंग अपशेष के निपटान की व्यवस्था
17. रजिस्ट्रीकरण शुल्क के भुगतान की पद्धति

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख :

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, सही और पूर्ण है और मैं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

स्थान:

हस्ताक्षर

तारीख :

संलग्नक:

घोषणा ”;

ख. प्ररूप II क के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप II (ख)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972

(नियम 33 देखें)

ताजा या शीतित मछली प्रबंधन केंद्र के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

1. आवेदक का पूरा नाम और पता :
2. मालिक/भागीदार या निदेशक का नाम
और आवासीय पता यथास्थिति :
3. प्रबंधन केंद्र की स्थिति (मालिकाना/भागीदारी फर्म
या प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक
लिमिटेड कंपनी)
4. प्रबंधन केंद्र का स्थान,
i द्वार संख्या:
ii. प्लॉट का सर्वे सं.
iii. वार्ड संख्या
iv. गली का नाम
v. तालुक और जिला
5. संचार सुविधाओं का विवरण
i. टेलीफोन संख्या :
ii. फैक्स संख्या, यदि कोई हो:
iii. ई-मेल पता, यदि कोई हो:
iv. टेलीग्राफिक पता, यदि कोई हो
6. नागरिक संरचना का विवरण
i. आरसीसी / टाइल वाली छत
ii. फर्श का प्रकार (टाइल या सीमेंट)
ii. मछली प्रबंधन हॉल के आयाम:
i. मीटर में लंबाई
ii. मीटर में चौड़ाई:
iii. मीटर में ऊंचाई :
7. मखिखियों को दूर करने की व्यवस्था का विवरण
8. उपयोग में आने वाले बर्तनों के प्रकार और संख्या

9. क्या टेबल उपलब्ध कराए गए हैं :
10. प्रबंधन केंद्र के लिए पेयजल आपूर्ति का स्रोत :
11. क्या कच्चे माल की धुलाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के लिए सुविधा प्रदान की गई है
12. जल निकासी व्यवस्था और अपशिष्ट जल निपटान का विवरण
13. कर्मचारियों की संख्या
 - i. प्रबंधकीय
 - ii. पर्यवेक्षी:
 - iii. कर्मी :
14. क्या कर्मचारियों का चेंजिंग रूम प्रदान किया गया है:
15. क्या शौचालय उपलब्ध कराया गया है। यदि हाँ तो, क्या दरवाजा स्वयं बंद प्रकार का है:
16. क्या प्रबंधन केंद्र में पेयजल की सुविधा में प्रदान की जाती है :
17. 8 घंटे की शिफ्ट में प्रबंधन करने वाले कच्चे माल की अधिकतम मात्रा जो हो सकती है
18. रजिस्ट्रीकरण शुल्क के भुगतान की पद्धति

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपरोक्त सूचना सही और पूर्ण है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख :

टिप्पण :

1. प्रत्येक प्रबंधन केंद्र के संबंध में अलग आवेदन भेजा जाना चाहिए।
2. आवेदन के साथ स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित प्रबंधन केंद्र का एक लेआउट भेजा जाना चाहिए।
3. आवेदन प्ररूप के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी भेजा जाना चाहिए कि स्थानीय निकाय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उक्त सर्वेक्षण संख्या के साथ भूखण्ड में ताजा या शीतित मछली प्रबंधन केंद्र चलाने में कोई आपत्ति नहीं है।";

(ग) प्ररूप II ख के पश्चात , निम्नलिखित अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप II (ग)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972

(नियम 33 देखें)

जीवित मछली के प्रबंधन के लिए परिसर के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

1. आवेदक का पूरा नाम और पता :
2. स्वामी या भागीदारों या निदेशकों के नाम
और आवासीय पता यथास्थिति :
3. प्रबंधन केंद्र की स्थिति (मालिकाना/भागीदारी फर्म
या प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड कंपनी) :
4. प्रबंधन केंद्र का स्थान :

i) द्वार संख्या

ii) प्लॉट का सर्वेक्षण संख्या

iii) वार्ड संख्या

iv) गली का नाम

v) तालुक और जिला

5. संचार सुविधाओं का विवरण

i) टेलीफोन संख्या:

ii) फैक्स संख्या, यदि कोई हो

iii) ई-मेल पता, यदि कोई हो

iv) टेलीग्राफिक पता, यदि कोई हो

6. नागरिक संरचना का विवरण

i) आरसीसी / टाइल वाली छत

ii) फर्श का प्रकार

- (टाइल या सीमेंट फर्श)
- iii) फिश हैंडलिंग हॉल/एस के आयाम
- क) मीटर में लंबाई
- ख) मीटर में चौड़ाई
- ग) मीटर में ऊंचाई
- iv) एम 3 प्रबंधन में रखी गई जीवित मछलियों की मात्रा
7. जीवित मछलियों के प्रबंधन केंद्र के लिए उपलब्ध मशीनरी, उपकरण, बर्तन और सुविधाओं का विवरण
8. परिसर में खारे या ताजे पानी की आपूर्ति का वित्तीय स्रोत
9. जल निकासी व्यवस्था का विवरण और अपशिष्ट जल निपटान:
10. कर्मचारियों की संख्या
- क) प्रबंधकीय
- ख) पर्यवेक्षी
- ग) श्रमिक
11. क्या श्रमिकों का विश्राम कक्ष प्रदान किया गया है:
12. क्या शौचालय उपलब्ध कराया गया है, यदि ऐसा है तो, क्या दरवाजा सेल्फ क्लोजिंग टाइप का है :
13. क्या प्रबंधन केंद्र में पेयजल की सुविधा प्रदान की जाती है:
14. एम3 में 8 घंटे की शिफ्ट में केंद्र की क्षमता
15. रजिस्ट्रीकरण शुल्क के भुगतान की पद्धति

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख :

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपरोक्त सूचना सही और पूर्ण है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख :

टिप्पण :

1. प्रत्येक जीवित मछली प्रबंधन केंद्र के संबंध में अलग आवेदन भेजा जाना चाहिए।
2. आवेदन के साथ स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित प्रबंधन केंद्र का एक लेआउट भेजा जाना चाहिए।
3. आवेदन प्रपत्र के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी भेजा जाना चाहिए कि स्थानीय निकाय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उक्त सर्वेक्षण संख्या के साथ भूखण्ड में जीवित मछली के प्रबंधन हेतु केन्द्र चलाने में कोई आपत्ति नहीं है।";

(घ) प्ररूप II (ग) के पश्चात , निम्नलिखित अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप II (घ)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972

(नियम 33 देखें)

सूखे या नमकीन समुद्री उत्पादों

की पैकिंग के लिए स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

1. आवेदक का पूरा नाम और पता :
2. स्वामी या भागीदार या निदेशक
का नाम और आवासीय पता
यथास्थिति:
3. प्रबंधन केंद्र की स्थिति (मालिकाना या
भागीदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड या
पब्लिक लिमिटेड कंपनी)
4. प्रबंधन केंद्र का स्थान :
 - i) द्वार संख्या
 - ii) प्लॉट का सर्वेक्षण संख्या:
 - iii) वार्ड संख्या

- iv) गली का नाम
- v) तालुक और जिला
5. संचार सुविधाओं का विवरण
 - i) टेलीफोन संख्या
 - ii) फैक्स संख्या, यदि कोई हो
 - iii) ई-मेल पता, यदि कोई हो
 - iv) टेलीग्राफिक पता, यदि कोई हो
6. नागरिक संरचना का विवरण
 - i) आरसीसी / टाइल वाली छत
 - ii) फर्श का प्रकार (टाइल या सीमेंट फर्श) - :
 - iii) पैकिंग हॉल के आयाम:
 - क) मीटर में लंबाई
 - ख) मीटर में चौड़ाई
 - ग) मीटर में ऊंचाई
 - iv) एम2 में पैकिंग क्षेत्र
7. फ्लाइ-पूफिंग व्यवस्था का विवरण:
8. परिसर में पैकिंग के लिए उपलब्ध मशीनरी, उपकरण और बर्तनों का विवरण:
9. कर्मचारियों की संख्या
 - क) प्रबंधकीय
 - ख) पर्यवेक्षी:
 - ग) श्रमिक,
10. क्या शौचालय उपलब्ध कराया गया है, यदि हां, तो क्या द्वार स्व-समापन प्रकार का है
11. क्या स्थापना में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है
12. सूखे या नमकीन समुद्री की अधिकतम मात्रा उत्पाद जिन्हें 8 घंटे की पाली में पैक किया जा सकता है:
13. रजिस्ट्रीकरण शुल्क के भुगतान की पद्धति

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख :

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपरोक्त सूचना सही और पूर्ण है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख :।

टिप्पण:

1. प्रत्येक पैकिंग केंद्र के संबंध में अलग आवेदन भेजा जाना चाहिए।
2. स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित प्रबंधन केंद्र का एक लेआउट होना चाहिए :
जिसे आवेदन के साथ भेजा गया है।
3. आवेदन प्रपत्र के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी भेजा जाना चाहिए कि स्थानीय निकाय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उक्त सर्वेक्षण संख्या के साथ भूखण्ड में सूखे/नमकीन समुद्री पैकिंग के प्रबंधन हेतु केन्द्र चलाने में कोई आपत्ति नहीं है।";

(ड) "प्ररूप VI" के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप VI (क)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972

[नियम 34 (3) देखें]

पीलिंग शेड के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

1. स्थापना/व्यक्ति/संगठन का नाम
और पता जिसके के लिए अधिकृत
रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया है
2. पीलिंग शेड का स्थान
 - क) भूखंड की सर्वेक्षण संख्या
 - ख) स्थानीयता
 - ग) सड़क / सड़क का नाम
 - घ) दरवाजा सं.
 - ड) वार्ड नं.
3. डाक पता
4. टेलीग्राफिक पता, यदि कोई हो
5. उपलब्ध फ्लोर का स्थान

6. प्रति शिफ्ट संसाधित होने वाले कच्चे माल की क्षमता

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पीलिंग शेड प्रति 8 घंटे की पाली में झींगे पिलिंग के..... टन के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा विहित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्यकर स्थितियों के अनुरूप है और फ्लोर उपयोग में आने वाली स्थान और टेबल/बर्तन का उपबंध करता है।

अधिकारी के हस्ताक्षर
प्रमाण पत्र जारी करना

स्थान :

तारीख :

(प्राधिकरण की मुहर)

रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की शर्तें

1. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के उपबंधों के अधीन प्रदान किया जाता है।
2. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना लेआउट, डिजाइन, क्षमता आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। .
3. इस प्रमाणपत्र को पीलिंग शेड में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के धारक को एक रजिस्टर में एक दिन-प्रतिदिन का खाता रखना चाहिए जिसमें प्राप्त कच्चे माल की मात्रा, छली गई मात्रा और जारी की गई मात्रा उस पार्टी को इंगित करती है जिसे यह जारी किया गया था। यह रजिस्टर समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए और मांग पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
5. पीलिंग शेड को केवल उनके शेड में छिलके वाली या पूर्व-संसाधित झींगा की सभी खेपों के लिए एक डिलीवरी नोट जारी करना चाहिए, जिसमें प्रमाण पत्र की संख्या और का संकेत दिया गया हो। ऐसी सुपुर्दगी पर्चियों में अन्यत्र पूर्व-संसाधित सामग्री को सम्मिलित करना इस शर्त का उल्लंघन होगा और प्रमाणपत्र को रद्द करना होगा।
6. इसके अतिरिक्त, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए स्वामी की ओर से यह आवश्यक होगा।
7. स्वामी को मानकों के अनुपालन के लिए इस प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन ----- (जारी करने से दो वर्ष पहले) करवाना चाहिए जिसके न होने पर यह प्रमाणपत्र वैध नहीं रहेगा।

स्वामित्व आदि में परिवर्तन का पृष्ठांकन " ;

(च) "प्ररूप VI (क)" के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप VI (ख)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972

[नियम 34 (3) देखें]

ताजा या शीतित मछली प्रबंधन केंद्र के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख
2. प्रबंधन केंद्र का नाम और पता :
3. प्रमाणपत्र धारक (स्वामी/भागीदार/निदेशक) का नाम और आवासीय पता :
4. प्रबंधन केंद्र का स्थान
 - क) दरवाजा सं.
 - ख) प्लॉट का सर्वेक्षण संख्या:
 - ग) स्थानीयता
 - घ) सड़क/सड़क का नाम :
 - ड) वार्ड संख्या
 - च) तालुक और जिला
5. एम 2 में कच्चे माल की प्रबंधन क्षेत्र :
6. 8 घंटे की शिफ्ट में प्रबंधन केंद्र की क्षमता :

प्रमाणित किया जाता है कि यह ताजा या शीतित मछली प्रबंधन केंद्र समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा विहित/ स्वीकृत मानकों के अनुरूप है और..... एम3 के ताजा/शीतित मछली प्रबंधन क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है और 8 घंटे की शिफ्ट में टन की ठंडी मछली प्रबंधन की क्षमता है ।

अधिकारी के हस्ताक्षर
प्रमाण पत्र जारी करना

स्थान:

तारीख :

(प्राधिकरण की मुहर)

यह प्रमाणपत्र समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 और उसके पश्चात बनाए गए पश्चातवर्ती नियम के उपबंधों के अधीन जारी किया जाता है और शर्तों को ऊपर अंकित किया गया है।

शर्तें: -

1. यदि लेआउट, डिजाइन या क्षमता में किसी भी बदलाव की आवश्यकता है, तो स्वामी को इसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करवाना चाहिए।
2. स्वामी को समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी समुद्री उत्पादों के प्रबंधन, संरक्षण और पैकिंग के संबंध में विनियम या किसी अन्य निर्देशों का पालन करना चाहिए।
3. उत्पादों को पैक करते समय स्वामी को केवल अनुमोदित परिरक्षकों, यदि कोई आवश्यक हो, का उपयोग करना चाहिए।
4. इस इकाई के प्रबंधन क्षेत्र में कोई रसायन, डिटर्जेंट या रिपेलेट नहीं रखा जाना चाहिए या संग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए।
5. इस प्रबंधन केंद्र और इसके परिसर को साफ-सुथरा, साफ-सुथरा और साफ-सुथरा रखा जाना चाहिए।
6. स्वामी को हमेशा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित या अपनाए गए मानकों के अनुरूप प्रबंधन केंद्र का रखरखाव करना चाहिए।
7. स्वामी को प्राप्त, प्रबंधन, पैक की गई और निर्यात की गई ताजी/शीतित मछली की मात्रा को दर्शाने वाले रजिस्टर में दिन-प्रतिदिन का लेखा-जोखा रखना चाहिए और प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए रजिस्टर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
8. इस प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए।
9. स्वामी को रजिस्ट्रीकरण के इस प्रमाण पत्र को हर दो वर्ष में दोबारा सत्यापित करवाना चाहिए।
10. स्वामित्व स्थानांतरित होने की स्थिति में, हस्तांतरणकर्ता को इस प्रमाणपत्र में स्वामित्व परिवर्तन का पृष्ठांकन प्राप्त करना चाहिए।";

(छ) "प्ररूप VI (ख) के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप VI (ग)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972

[नियम 34 (3) देखें]

जीवित मछली के प्रबंधन के लिए परिसर के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख
2. जीवित मछली के प्रबंधन के लिए
परिसर का नाम और पता :
3. प्रमाणपत्र धारक (स्वामी/भागीदार/निदेशक)
का नाम और आवासीय पता

4. जीवित मछली के प्रबंधन के लिए परिसर का स्थान:

क) दरवाजा सं.

ख) प्लॉट का सर्वेक्षण संख्या:

ग) स्थानीयता

घ) गली/सड़क का नाम

ङ) वार्ड संख्या

च) तालुक और जिला

5. एम3 में प्रबंधित की गई जीवित

मछलियों का आयतन

6. 8 घंटे की शिफ्ट में जीवित

मछली के प्रबंधन के लिए परिसर की क्षमता:

प्रमाणित किया जाता है कि यह परिसर समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा विहित/अंगीकृत मानकों के अनुरूप है और एम 3 प्रति 8 घंटे की शिफ्ट एक जीवित मछली से निपटने की क्षमता प्रदान करता है।

अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र जारी करना

स्थान:

तारीख:

(प्राधिकरण की मुहर)

यह प्रमाणपत्र समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम और नियम 1972, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 और पश्चातवर्ती बनाए गए नियम के उपबंधों और ऊपर लिखी शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

शर्तें :

1. यदि लेआउट, डिजाइन या क्षमता में किसी भी बदलाव की आवश्यकता है, तो स्वामी को इसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करवाना चाहिए।
2. स्वामी को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी जीवित मछलियों का निर्यात करना मछलियों को जीवित रखने, उनकी पैकिंग करने के संबंध में निर्देश नियम या किसी अन्य का पालन करना चाहिए।
3. स्वामी को जीवित मछलियों के प्रबंधन के दौरान अनुमोदित चारा/रसायनों योगात्मक/दवाएं, यदि कोई आवश्यक हो केवल का उपयोग करना चाहिए।

4. इस परिसर के प्रबंधन क्षेत्र में किसी भी रसायन/प्रतिरोधक/डिटर्जेंट को नहीं रखा जाना चाहिए या संग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए।
5. इस परिसर को साफ-सुथरा, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर रखा जाना चाहिए।
6. स्वामी को हमेशा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित या अपनाए गए मानकों के अनुरूप प्रबंधन केंद्र का रखरखाव करना चाहिए।
7. स्वामी को एक रजिस्टर में प्रबंधन की गई, जिंदा पैक की गई और निर्यात की गई जीवित मछलियों की मात्रा दिखा रहे दिन-प्रतिदिन का खाता रखना चाहिए और 8 घंटे की एक पाली में और मांग पर समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण रजिस्टर के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
8. इस प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए।
9. स्वामी को रजिस्ट्रीकरण के इस प्रमाण पत्र को हर दो वर्ष में दोबारा सत्यापित करवाना चाहिए।
10. स्वामित्व स्थानान्तरित होने की स्थिति में, हस्तांतरणकर्ता को इस प्रमाणपत्र में स्वामित्व परिवर्तन का पृष्ठांकन प्राप्त करना चाहिए।":

(ज) "प्ररूप VI (ग)" के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित जाएगा।

"प्ररूप VI (घ)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972

[नियम 34 (3) देखें]

सूखे या नमकीन समुद्री उत्पादों की पैकिंग के लिए स्थापना के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख
2. स्थापना का नाम और पता
3. प्रमाण पत्र धारक (स्वामी/साझेदार/निदेशक)
का नाम और आवासीय पता
4. पैकिंग केंद्र का स्थान
 - क) द्वार संख्या :
 - ख) प्लॉट का सर्वेक्षण संख्या
 - ग) स्थानीयता
 - घ) सड़क/सड़क का नाम
 - ड) वार्ड संख्या
 - च) तालुक और जिला
5. एम2 में उत्पाद सूखे/नमकीन समुद्री का पैकिंग क्षेत्र
6. 8 घंटे की शिफ्ट में सूखे/नमकीन समुद्री
उत्पाद को पैक करने के लिए स्थापना की क्षमता:

प्रमाणित किया जाता है कि यह सूखा/नमकीन मछली पैकिंग स्थापना समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा विहित/अपनाए गए मानकों के अनुरूप है और..... एम 2 क्षेत्र के लिए और 8 घंटे की पाली में सूखे/नमकीन समुद्री उत्पादों की टन पैकिंग क्षमता पैकिंग प्रदान करता है।

अधिकारी के हस्ताक्षर
प्रमाण पत्र जारी करना

स्थान:

तारीख:

(प्राधिकरण की मुहर)

यह प्रमाण पत्र समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम और नियम 1972, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण) अधिनियम 1963 और इसके ऊपर लिखी गई शर्तें और पश्चातवर्ती बनाए गए नियम के उपबंधों के अधीन जारी किया गया है।

1. यदि लेआउट, डिजाइन या क्षमता में किसी भी बदलाव की आवश्यकता है, तो स्वामी को इसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करवाना चाहिए।
2. स्वामी को समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी सूखे/नमकीन मछली के पैकेजिंग, संरक्षण और निर्यात के संबंध में नियम या किसी अन्य निर्देश का पालन करना चाहिए।
3. उत्पादों की पैकेजिंग करते समय स्वामी को केवल अनुमोदित परिरक्षकों/ योजकों, यदि कोई आवश्यक हो, का उपयोग करना चाहिए।
4. इस स्थापना के पैकिंग क्षेत्र में कोई भी रसायन, प्रतिरोधक, डिटर्जेंट या नहीं रखा जाना चाहिए या संग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए।
5. इस स्थापना और इसके परिसर को साफ-सुथरा, स्वच्छ और स्वास्थ्यकर रखा जाना चाहिए।
6. स्वामी को इस स्थापना को हमेशा प्राधिकरण द्वारा विहित या अपनाए गए मानकों के अनुरूप बनाए रखना चाहिए।
7. स्वामी को एक रजिस्टर में दिन-प्रतिदिन का खाता रखना चाहिए, जिसमें प्राप्त, पैक और निर्यात की गई सूखी/नमकीन मछली की मात्रा को दर्शाया गया हो और रजिस्टर को मांग पर समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
8. इस प्रमाणपत्र की एक प्रति स्थापना में प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए।
9. स्वामी को रजिस्ट्रीकरण के इस प्रमाण पत्र को हर दो वर्ष में दोबारा सत्यापित करवाना चाहिए।
10. स्वामित्व स्थानांतरित होने की स्थिति में, हस्तांतरणकर्ता को इस प्रमाणपत्र में स्वामित्व परिवर्तन का पृष्ठांकन प्राप्त करना चाहिए।"

[फा. सं. 11/2/2013-ईपी(एमपी)(पं.)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th February, 2022

S.O. 901(E).—In exercise of the powers conferred by section 33 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (Act 13 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, namely:

1. (1) This Rule may be called the Marine Products Export Development Authority (Amendment) Rules, 2021.
- (2) This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 1.1.2001.
2. In the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 33,-
 - a. in sub-rule (1),-
 - i. after the words, "transport of marine products", the words, "peeling shed, fresh or chilled fish handling centre, live fish handling centre or dried fish handling centre." shall be inserted;
 - ii. after the words and figures, "Form II, the words and figures, "Form II a, Form II b, Form II c and Form II d", shall be inserted;
 - iii. for the words, "on payment of rupees five", the words, "on payment of rupees two hundred", shall be substituted;
 - iv. The word "or" occurring after processing plant and the word "or" occurring after Storage Premises for marine products shall be omitted.
 - b. in sub-rule (2), -
 - i. the word, "or" shall be omitted.
 - ii. after the word, "Conveyance", the words, "peeling shed, fresh or chilled fish handling centre, live fish handling centre or dried fish handling centre", shall be inserted;
 - c. after sub-rule (2), for the existing "TABLE" and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

TABLE

Sl. No.	(1)	(2)
I	Application for registration	Fee
(1)	Fee for each set of application form (Form II, IIa, II b, II c, II d, III, IV, IX)	₹ 200
(2)	Fee for each set of application of Fishing Vessel (Form I)	₹ 100
II	Registration of exporter (Form X)	
(1)	Exporter Registration Fee	₹ 5000
III	Fishing Vessel (Form V)	
(1)	Registration of Fishing Vessel upto 45 ft in length	₹ 1000
(2)	Registration of Fishing Vessels of OAL 45 ft & above	₹ 2000

IV	Storage (Form VII)	
(1)	Chilled and Frozen storage upto and including 50 T capacity	₹ 3000
(2)	Chilled and Frozen storage above and including 50 T capacity	₹ 5000
(3)	Other than chilled and Frozen Storage upto and including 50T capacity	₹ 1000
(4)	Other than Chilled and Frozen storage above 50 T capacity	₹ 2000
V	Processing Plant (Form VI)	
(1)	Processing Plant with processing capacity to handle upto and including 5T of raw material (per 8 hr shift)	₹ 2500
(2)	Processing Plant with processing capacity to handle above 5T of raw material (per 8 hr shift)	₹ 5000
VI	Peeling Shed (Form No. (VI (a))	
(1)	Peeling shed with a capacity to handle upto and including 5 tonnes raw material per 8 hour shift	₹ 1500
(2)	Peeling shed with a capacity to handle above 5 tonnes of raw material per 8 hour shift	₹ 3000
VII	Handling centre (Form No. VI(b), Form No.VI (c), Form No. VI (d))	
(1)	Handling Centre with a capacity to handle upto and including 5 Tons of Fresh/Chilled Fish per 8 Hours shift	₹ 1500
(2)	Handling Centre with a capacity to handle above 5 Tons of Fresh/Chilled Fish per 8 Hours shift	₹ 3000
(3)	Handling Centre with a capacity to handle live fish in a volume upto 5 M ³ per 8 Hours shift	₹ 1500
(4)	Handling Centre with a capacity to handle live fish in a volume above 5 M ³ per 8 Hours shift	₹ 3000
(5)	Handling Centre with a capacity to handle upto and including 1 tonne of dried/salted marine products 8 Hours shift	₹ 1500
(6)	Handling Centre with a capacity to handle above 1 tonne of dried/salted marine products 8 Hours shift	₹ 3000
VIII	Conveyance (Form VIII)	
(1)	Per conveyance	₹ 1500
IX	Renewal of registration	
(1)	All renewals except Fishing Vessels up to 20 m OAL	₹ 1000
(2)	Renewals except Fishing Vessels up to 20 m OAL	₹ 250
X	Endorsement in the certificate of registration as an exporter	
(1)	Endorsement of utilization of processing plant/handling facility/storage premise etc. in the certification of registration as a merchant exporter	₹ 5000
(2)	Endorsement of Merchant/ Manufacturer exporters name in the	₹ 5000

	certificate of processing plant / handling facility / storage premises etc.	
(3)	Endorsement of pre-mature cancellation of processing agreement with a processing plant/handling facility in the certificate of registration as an exporter	₹ 5000
(4)	Endorsement of pre-mature cancellation of processing agreement with an exporter in the certificate of processing plant /handling facility	₹ 5000
(5)	Endorsement of pre-mature cancellation of storage agreement with an exporter in the certificate of storage premises	₹ 5000
(6)	Any other endorsement not covered above in respect of registration	₹ 1000
XI	Transfer of Entities	
(1)	Transfer of processing plant, storage premises or conveyance, fishing vessel by way of sale, mortgage or other-wise	₹ 1000
XII	Change of details included in the certificate of registration of fishing vessel	
(1)	Change of details in the certificate of registration of all entities except fishing vessels upto 20 m OAL	₹ 1000
(2)	Change of details in the certificate of registration of fishing vessels upto 20 m OAL	₹ 250
XIII	Change in the certificate of Registration of fishing vessels, processing plant etc.	
(1)	Any endorsement on the certificate of registration of fishing vessels upto 20 m OAL	₹ 250
(2)	Endorsement or registration of processing plant	₹ 1000
(3)	Endorsement of change of ownership of production entities	₹ 1000
(4)	Endorsement of change of any other details included in the certificate of registration except in respect of fishing vessels upto 20 Mtrs OAL	₹ 1000
(5)	Change of hypothecation/lien noting of financial institutions except in respect of fishing vessels upto 20 Mtrs OAL	₹ 1000
(6)	Endorsement of lessee in the certificate of registration of processing plants	₹ 1000
(7)	Endorsement of issue of duplicate certificate of registration	₹ 1000
(8)	Endorsement of additional capacity	₹ 1000
(9)	Endorsement of change in the constitution of a firm/company	₹ 1000
(10)	Any other endorsement	₹ 1000

3. In the said rules, in rule 34, for sub-rule (3), the following shall be substituted:-

“(3) Where the application for registration is not refused, a certificate of registration shall be granted in Form V, Form VI, Form VII, Form VIII, Form VI (a), Form VI (b), Form VI (c) or Form VI (d) as the case may be, and shall be subject to the terms and conditions specified in the certificate”.

4. In the said rules, in rule 38, in sub-rule (2), for the words, “rupees fifteen”, the words, “rupees one thousand”, shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 39, -

a. for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

“(1) If during the period when the registration of the storage premises for marine products, conveyance used for the transport of marine products, peeling shed, fresh or chilled fish handling centre, live fish handling centre or dried fish handling centre is in force, the owner thereof desires to change place where aforesaid entity is located, or the lay out as approved by the Authority, or any change in its capacity or otherwise, or change the place of operation of the fishing vessel or conveyance he shall apply to the Secretary or other officer authorized by him at least thirty days in advance of such intended change.”

b. In sub-rule (2), for the words, “rupees fifteen”, the words, “rupees one thousand” shall be substituted.

6. In the said rules, in rule 41, :-

(a) in sub-rule (1) for the words and figures, “Rs. 5/-”, the words, “rupees two hundred”, shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the words, “rupees fifteen”, the words “rupees five thousand”, shall be substituted.

7. In the said rules, in Chapter-VIII, -

a. after “ Form II”, the following shall be inserted, namely -

“FORM II (a)

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972

(See Rule 33)

Form of application for registration of peeling shed for marine products

1. a. Name and address of applicant in full
- b. Nature of establishment
- c. Name and address of the Proprietor/ Partners / Director as the case may be
2. a. Location of the peeling shed Give survey No. of the plot, ward, name of street & door no.
- b. Postal address
- c. Telephone Number:
 - i) Office
 - ii) Factory

- d. Telegraphic address if any
3. Dimensions of the shed (floor area):
 - a) Length
 - b) Breadth
 - c) Height
 - d) Tables area provided
 - e) Tables provided
4.
 - a. Type of flooring
 - b. Whether the floor has slope
5. No. of tables provided with size and type (indicate whether made of steel, wood or cement concrete)
6. No. of workers employed
7. Source of water supply to the peeling shed
8. Type of ceiling
9. Whether false ceiling has been provided
10. Maximum quantity of raw material that can be handled per shift of 8 hrs
11. Toilet facilities available at the peeling shed :
 - a) No. of urinals
 - b) No. of lavatories
 - c) Are the lavatories of flush out type
 - d) Are the lavatories fitted with self closing doors
12. Arrangements made for fly proofing
13. Are the doors fitted with self closing device
14. Type and No. of utensils in use
15. Drainage arrangements in a peeling shed
16. Disposal arrangements of effluents and peeling waste
17. Mode of payment of registration fee

Signature of the applicant

Place:

Date :

DECLARATION

I, do hereby declare that to the best of my knowledge and belief, the above information is correct and complete and I agree to abide by the conditions of certificate of registration.

Place:

Signature

Date :

Encl:

Declaration”;

b. After Form II a, the following shall be inserted, namely:-

“FORM II (b)

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972

(See Rule 33)

Application for registration of Fresh or Chilled fish handling centre

1. Name and address of the applicant in full :
2. Name and residential address of the Proprietor/
Partners or Directors as the case may be :
3. Status of the handling centre (Proprietary /
Partnership firm or private limited / public
Limited company) :
4. Location of the handling centre :
 - i. Door No :
 - ii. Survey no. of the plot :
 - iii. Ward number
 - iv. Name of street :
 - v. Taluk and District :
5. Details of communication facilities
 - i. Telephone numbers :
 - ii. Fax number, if any :
 - iii. E-mail address, if any :
 - iv. Telegraphic address, if any :
6. Details of the civil structure :
 - i. RCC / tiled roofing
 - ii. Type of flooring (tiled or cement flooring)
 - ii. Dimensions of the fish handling hall/s :
 - i. Length in Meter :
 - ii. Breadth in Meter :
 - iii. Height in Meter :
 - iii. Handling area in M² :
7. Details of the fly-proofing arrangement :
8. Type and number of utensils in use :
9. Whether tables have been provided :
10. Source of potable water supply to the handling centre :
11. Whether facilities for washing, grading and packaging of
raw materials have been provided :

- | | |
|---|---|
| 12. Details of the drainage arrangements and waste water disposal | : |
| 13. Number of employees | : |
| i. Managerial | : |
| ii. Supervisory | : |
| iii. Workers | : |
| 14. Whether workers changing room has been provided | : |
| 15. Whether toilet has been provided. If so, whether the door is of self-closing type | : |
| 16. Whether drinking water facility is provided in the handling centre | : |
| 17. Maximum quantity of raw material that can be handled in a shift of 8 hours | : |
| 18. Mode of payment of registration fees | : |

Signature of the Applicant

Place:

Date:

DECLARATION

I, do hereby, declare that, to the best of my knowledge and belief, the above information is correct and complete

Signature of the applicant

Place:

Date :

Note:

1. Separate application should be sent in respect of each handling centre.
2. A lay-out of the handling centre, approved by the Local Body should be sent along with the application.
3. A certificate to the effect that the Local Body and Pollution Control Board have no objection to run the fresh or chilled fish handling centre in the plot with the said survey number, should also be sent along with the application forms.”;

(C) after FORM II b, the following shall be inserted, namely:-

“FORM II (c)

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972

(See Rule 33)

Application for Registration of premise to handle Live Fish

1. Name and Address of the applicant in full :
2. Name and residential address of the Proprietor or Partners or Directors as the case may be :
3. Status of the handling centre (Proprietary/Partnership firm or private limited/public limited company) :
4. Location of the handling centre :
 - i) Door No :
 - ii) Survey no. of the plot :
 - iii) Ward number :
 - iv) Name of street :
 - v) Taluk and District :
5. Details of communication facilities :
 - i) Telephone numbers :
 - ii) Fax number, if any :
 - iii) E-mail address, if any :
 - iv) Telegraphic address, if any :
6. Details of the civil structure :
 - i) RCC / tiled roofing :
 - ii) Type of flooring (tiled or cement flooring) :
 - iii) Dimensions of the fish handling hall/s :
 - a) Length in Meter :
 - b) Breadth in Meter :
 - c) Height in Meter :
 - iv) Volume of live fish handled in M³ :
7. Details of machinery, equipment, utensils and amenities available in the centre for handling live fish :

8. Financial Source of saline or fresh water supply to the premise :
9. Details of the drainage arrangements and waste water disposal :
10. Number of employees :
 - a) Managerial :
 - b) Supervisory :
 - c) Workers :
11. Whether workers' rest room has been provided :
12. Whether toilet has been provided. If so, whether the door is of self-closing type :
13. Whether drinking water facility is provided in the handling centre :
14. The capacity of the centre in a shift of 8 hours, in M³ :
15. Mode of payment of registration fees :

Signature of the Applicant

Place:

Date :

DECLARATION

I, do hereby, declare that, to the best of my knowledge and belief, the above information is correct and complete

Signature of the applicant

Place:

Date :

Note:

1. Separate application should be sent in respect of each live fish handling centre.
2. A lay-out of the handling centre, approved by the Local Body should be sent along with the application.
3. A certificate to the effect that the Local Body and Pollution control Board have no objection to run the centre for handling live fish in the plot with the said survey number, should also be sent along with the application form. ”;

(d) after FORM II (c), the following shall be inserted, namely:-

“Form II (d)

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972

(See Rule 33)

Application for registration of Establishment for packing of Dried or Salted marine products

1. Name and address of the applicant in full :
2. Name and residential address of the Proprietor
or Partners or Directors as the case may be :
3. Status of the handling centre (Proprietary or
Partnership firm or private limited or
public limited company) :
4. Location of the handling centre :
 - i) Door No :
 - ii) Survey no. of the plot :
 - iii) Ward number
 - iv) Name of street :
 - v) Taluk and District :
5. Details of communication facilities
 - i) Telephone numbers :
 - ii) Fax number, if any :
 - iii) E-mail address, if any :
 - iv) Telegraphic address, if any :
6. Details of the civil structure :
 - i) RCC / tiled roofing
 - ii) Type of flooring (tiled or cement flooring) :
 - iii) Dimensions of the packing hall/s :
 - a) Length in Meter :
 - b) Breadth in Meter :
 - c) Height in Meter :
 - iv) Packing area in M² :
7. Details of the fly-proofing arrangement :
8. Details of machinery, equipment and utensils
available in the premise for packing :
9. Number of employees :
 - a) Managerial :
 - b) Supervisory :

- c) Workers :
10. Whether toilet has been provided.
If so, whether the door is of self-closing type :
11. Whether drinking water facility is provided
in the establishment :
12. Maximum quantity of dried or salted marine
products that can be packed in a shift of 8 hours :
13. Mode of payment of registration fees :

Signature of the applicant

Place:

Date :

DECLARATION

I, do hereby, declare that, to the best of my knowledge and belief, the above information is correct and complete

Signature of the applicant

Place:

Date :

Note:

1. Separate application should be sent in respect of each packing centre.
2. A lay-out of the handling centre, approved by the Local Body should be sent along with the application.
3. A certificate to the effect that the Local Body and Pollution control Board have no objection to run the establishment for packing dried / salted marine products in the plot with the said survey number, should also be sent along with the application forms. ”;

(e) After “Form VI ” the following shall be inserted, namely:-

“FORM VI (a)

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972

[See rule 34 (3)]

Certificate of Registration of Peeling Shed

1. Name and address of the establishment
/person / organization authorized to do
peeling to whom the certificate of
registration is issued

2. Location of the Peeling shed
 - a) Survey No. of the plot
 - b) Locality
 - c) Name of Street / Road
 - d) Door No.
 - e) Ward No.
3. Postal address
4. Telegraphic address, if any
5. Floor space available
6. Capacity of raw material to be processed per shift

Certified that the above peeling shed provides for floor space and the tables / utensils in use conform to the quality hygienic conditions prescribed by THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY for peeling of tonnes of prawn per 8 hr. shift.

Signature of the Officer
Issuing the certificate

Place :

Date :

(Seal of the Authority)

CONDITIONS OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION

1. The certificate of registration is granted subject to the provisions of the The Marine Products Export Development Authority Rules, 1972.
2. No change in the layout, design, capacity etc. should be done without the prior written approval of The Marine Products Export Development Authority.
3. This certificate should be prominently displayed in the peeling shed.
4. The holder of the registration certificate should maintain a day-today account in a register showing the quantity of raw materials received, the quantity peeled and quantity issued indicating the party to whom it is issued. This register must be available for inspection by officers of the The Marine Products Export Development Authority and produced on demand.
5. Peeling sheds should issue a delivery note for all consignments of shrimp peeled or pre-processed in their shed only, indicating the number and date of the certificate. Inclusion of material pre-processed elsewhere in such delivery slips, will be a violation of this condition and will entail cancellation of the certificate.
6. In addition, it shall be incumbent on the part of the owner to comply with instructions issued by The Marine Products Export Development Authority from time to time.

7. The owner should get this certificate endorsed for compliance with standards on or before ----- (two years from the date of issue) failing which this certificate will cease to be valid.

 Endorsement of change in the ownership etc. ”;

(f) after, “Form VI (a)”, the following shall be inserted, namely:-

“Form VI (b)

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972

[See rule 34 (3)]

Certificate of registration of Fresh or Chilled fish handling centre

1. Number and date of the certificate of Registration :
2. Name and address of the handling centre :
3. Name and residential address of the certificate holder (Proprietor/Partners / Director) :
4. Location of the handling centre :
 - a) Door No. :
 - b) Survey no. of the plot :
 - c) Locality :
 - d) Name of street / road :
 - e) Ward number :
 - f) Taluk and District :
5. Raw material handling area in M² :
6. Capacity of the handling centre in a shift of 8 hours :

Certified that this fresh or chilled fish handling centre conforms to the standards prescribed / adopted by the Marine Products Export Development Authority and provides for a fresh / chilled fish handling area of M² and a fresh / chilled fish handling capacity of Tones in a shift of 8 hours.

Signature of the officer
 issuing the certificate

Place:

Date :

(Seal of the Authority)

This certificate is issued subject to the provisions of the The Marine Products Export Development Authority Act and Rules 1972, the Export (Quality Control Inspection) Act 1963 and the subsequent Rules made thereof, and the conditions inscribed overleaf.

CONDITIONS: -

1. In case any change in the layout, design or capacity is required, the owner should get it approved by the Authority.
2. The owner should comply with the regulations or any other instructions in respect of handling, preservation and packing of marine products, issued by the Authority, from time to time.
3. The owner should use only the approved preservatives, if any required, while packing the products.
4. No chemical, detergent or repellent should be kept or stored in the handling area of this unit.
5. This handling centre and its premises should be kept neat and tidy, sanitarily and hygienically.
6. The owner should maintain the handling centre always conforming to the standards prescribed or adopted by the Authority.
7. The owner should maintain a day-to-day account in a register showing the quantity of fresh/chilled fish received, handled, packed and exported and the register should be made available for inspection by officers of the Authority.
8. A copy of this certificate should be prominently displayed in the handling centre.
9. The owner should get this certificate of registration revalidated every two years.
10. The transferee should get the change of ownership endorsed in this certificate, in case the ownership is transferred. ”;

(g) after "FORM VI (b), the following shall be inserted, namely:-

"Form VI (c)

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972

[See rule 34 (3)]

Certificate of registration of premise to handle Live Fish

1. Number and date of the certificate of
Registration :
2. Name and address of the premise
to handle live fish :
3. Name and residential address of the
certificate holder (Proprietor /
Partner / Director) :
4. Location of the premise to handle live
fish :
 - a) Door No. :
 - b) Survey no. of the plot :

- c) Locality :
 d) Name of street / road :
 e) Ward number :
 f) Taluk and district :
 5. Volume of live fish handled in M³ :
 6. Capacity of the premise to handle live
 fish in a shift of 8 hours :

Certified that this premise conforms to the standards prescribed / adopted by the Marine Products Export Development Authority and provides for a live fish handling capacity of M³ in a shift of 8 hours.

Signature of the officer
 Issuing the certificate

Place:

Date :

(Seal of the Authority)

This certificate is issued subject to the provisions of the THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY Act and Rules 1972, the Export (Quality Control & Inspection) Act 1963 and the subsequent Rules made thereof, and the conditions inscribed overleaf.

CONDITIONS :

1. In case any change in the layout, design or capacity is required, the owner should get it approved by the Authority.
2. The owner should comply with the regulations or any other instructions, in respect of handling, packing the fishes live and exporting the live fishes, issued by the Authority, from time to time.
3. The owner should use only the approved feeds/chemicals/additives/medicines, if any required, while handling the live fishes.
4. No chemical/repellant/detergent should be kept or stored in the handling area of this premise.
5. This premise should be kept neat and tidy, sanitarily and hygienically.
6. The owner should maintain the handling centre always conforming to the standards prescribed or adopted by the Authority.
7. The owner should maintain a day-to-day account in a register showing the volume of live fish handled, packed alive and exported in a shift of 8 hours and the register should be made available for inspection by officers of the The Marine Products Export Development Authority on demand.
8. A copy of this certificate should be prominently displayed in the premise.
9. The owner should get this certificate of registration revalidated every two years.
10. The transferee should get the change of ownership endorsed in this certificate, in case the ownership is transferred. ”;

(h) after "Form VI (c)", the following shall be inserted.

"Form VI (d)

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972

[See rule 34 (3)]

Certificate of Registration of establishment for packing of Dried or Salted marine products

1. Number and date of the certificate of registration :
2. Name & address of the establishment :
3. Name & residential address of the certificate holder (Proprietor /Partner / Director) :
4. Location of the packing centre :
 - a) Door No. :
 - b) Survey no. of the plot :
 - c) Locality :
 - d) Name of Street / Road :
 - e) Ward Number :
 - f) Taluk and District :
5. Packing area of dried / salted marine products in M² :
6. Capacity of the establishment to pack dried / salted marine products in a shift of 8 hours :

Certified that this dried / salted fish packing establishment conforms to the standards prescribed / adopted by the Marine Products Export Development Authority and provides for a packing area of M² and a packing capacity of tonnes of dried / salted marine products in a shift of 8 hours.

Signature of the officer
Issuing the certificate

Place:

Date :

(Seal of the Authority)

This certificate is issued subject to the provisions of the THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY Act and Rules 1972, the Export (Quality Control Inspection) Act 1963 and the subsequent Rules made thereof, and the conditions inscribed overleaf.

CONDITIONS :-

1. In case any change in the layout, design or capacity is required, the owner should get it approved by the Authority.
2. The owner should comply with the regulations or any other instructions, in respect of packaging, preservation and export of the dried / salted fish, issued by the Authority, from time to time.

3. The owner should use only the approved preservatives/ additives, if any required, while packaging the products.
4. No chemical, detergent or repellent should be kept or stored in the packing area of this establishment.
5. This establishment and its premises should be kept neat and tidy, sanitarily and hygienically.
6. The owner should maintain this establishment always conforming to the standards prescribed or adopted by the Authority.
7. The owner should maintain a day-to-day account in a register showing the quantity of dried / salted fish received, handled packed and exported and the register should be made available for inspection by officers of the THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY on demand.
8. A copy of this certificate should be prominently displayed in the establishment.
9. The owner should get this certificate of registration revalidated every two years.
10. The transferee should get the change of ownership endorsed in this certificate, in case the ownership is transferred.”.

[F. No. 11/2/2013-EP(MP)(Pt.)]
DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.